

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :-1369 / 2025

रूपा राम

—अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग,
शासन सचिवालय, जयपुर एवं अन्य।

—प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 03.03.2025

उपस्थिति :-

अपीलार्थी की ओर से : श्री कमलकान्त शर्मा, अभिभाषक

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री मनीष सिंह तोमर, अति.राजकीय अभिभाषक

समक्ष :- अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी वर्तमान में बाल विकास परियोजना अधिकारी के पद पर बा.वि.प.अ. परबतसर, डीडवाना-कुचामन में कार्यरत है। आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक-1) के द्वारा अपीलार्थी का पदस्थापन/स्थानांतरण बा.वि.प.अ. भैरुन्दा, नागौर में किया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का मुख्य रूप से तर्क है कि अपीलार्थी का स्थानांतरण आदेश राजस्थान पंचायती राज (अंतरित क्रियाकलाप) नियम, 2011 के नियम 8(iii) के उल्लंघन में जारी किया है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार कर आलोच्य आदेश को अपास्त फरमाये जावे।
3. हमने अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया। अपीलार्थी के अधिवक्ता का मुख्य रूप से कथन रहा है कि अपीलार्थी का स्थानांतरण आदेश राजस्थान पंचायती राज (अंतरित क्रियाकलाप) नियम, 2011 के नियम 8(iii) के उल्लंघन में जारी किया है। हम पाते हैं कि मंत्रीमण्डल सचिवालय राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प.11(6)मं.मं./2023 जयपुर दिनांक 15.03.2024 के द्वारा महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्री

महोदय को पंचायतीराज विभाग के अधीनस्थ महिला एवं बाल विकास विभाग का स्वतंत्र प्रभार आवंटित है एवं स्थानांतरण आदेश में भी सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त करने का अंकित है।

4. अतः हम पाते हैं कि अपीलार्थी का स्थानांतरण आदेश सक्षम अधिकारी स्तर पर अनुमोदित है। ऐसे में हम अपीलार्थी के आलोच्य आदेश में राजस्थान पंचायतीराज (अंतरित क्रियाकलाप) नियम, 2011 के नियम 8(iii) उल्लंघन होना नहीं पाते हैं। इस संबंध में हमारा मत है कि अपीलार्थी के स्थानांतरण में किसी प्रकार की दुर्भावना रही हो, यह प्रकट नहीं होता है। यह नियोक्ता के विवेक पर निर्भर करता है कि वह प्रशासनिक आवश्यकता में अपने किस कार्मिक की सेवाएं किस स्थान पर लेना उचित समझता है। ऐसे प्रशासनिक आदेश में इस अधिकरण द्वारा हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।
5. उपरोक्त विवेचना के आधार पर हम इस अपील में कोई बल होना नहीं पाते हैं। अतः अपील, मय स्थागन प्रर्थाना-पत्र पर खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)